संख्या-32/477/58-2-2014-300(14)/2014

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 10 जून, 2014

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक- 2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+रा.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-2,61,88 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-10-11/बजट-आयोजनागत/2014-15, दिनांक: 21.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि कुल रूपये 82493/-हजार (रूपये आठ करोड़ चौबीस लाख तिरानबे हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-2,61,88 हजार (रूपया दो करोड़ इक्सठ लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक/योजना का नाम	मद	केन्द्रांश (75/)	राज्यांश (25/)	योग
अनुदान संख्या-10 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनागत 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के0-75/रा0-25-के0+रा0) 27-सब्सिडी	मुख्य योजना हेतु	1,96,41	65,47	2,61,88
	योग-	1,96,41	65,47	**2,61,88**

(रूपये दो करोड़ इक्सठ लाख अठ्ठासी हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(5) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।, दिनांक: 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-409/दस-2014, दिनांक-09.06.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

<u>संख्या-32/477(1)/58-2-2014, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in